न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–195 / 2022

GCMS NO:- 2022/359

दायर दिनांक– 18.8.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. रामप्रसाद आ0 श्रीकिशन जाति धाकड नि0 करीरी तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र सुखपाल जाति मीणा नि0 करीरी का झोपडा तहसील नैनवॉ।
2. लादू पुत्र करणा जाति गुर्जर नि. करीरी तहसील नैनवॉ।
3. राजू पुत्र करणा जाति गुर्जर नि. करीरी तहसील नैनवॉ।
4. रमेश पुत्र करणा जाति गुर्जर नि. करीरी तहसील नैनवॉ।
5. शोराज पुत्र करणा जाति गुर्जर नि. करीरी तहसील नैनवॉ।
6. शोजी पुत्र उंकार जाति गुर्जर नि0 करीरी तहसील नैनवॉ।
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री शंभू लाल नागर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करीरी प.म. नाहरगंज की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 115 के अनुसार खसरा संख्या 99 रकबा 0.4611 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी काविज रहकर लगातार काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी खेती कर रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की मेड को तोडकर अवैघ व अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी ने अपने खाते की उक्त भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ के आदेशानुसार करवाया जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमा की संपूर्ण जानकारी है तथा मौके पर पटवारी हल्का नाहरगंज द्वारा सीमा चिन्हित की गयी है। लेकिन अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थी के खाते की भूमि की सीमा को मिटाकर मेड तोडकर भूमि के अन्दर प्रवेश करते चले आ रहे है तथा भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है।

यह कि दिनांक 25.6.2022 को अप्रार्थीगण हाथों मे लकडिया कुल्हाडी व ट्रेक्टर लेकर खेत पर आ गये और आते ही प्रार्थी के खाते की भूमि की सीमा को नष्ट भ्रष्ट करने लग गये तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को विरोध किया इतने मे ही अप्रार्थीगण कहने लगे कि हम तुम्हारे खाते की भूमि मे घुस कर कब्जा करके रहेंगे। कोई कुछ नही बिगाड सकता। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि की जीपीएस नाप से पत्थरगढी कर सीमा निर्धारित नही की गयी तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी के खाते की भूमि की संपूर्ण सीमा को नष्ट भ्रष्ट कर भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री शंभू लाल नागर द्वारा वकालातनामा पेश किया गया लेकिन जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 03 वर्ष का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 6 का जवाब का अवसर बंद किया

जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम करीरी प.म. नाहरगंज की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 11[redacted] के अनुसार खसरा संख्या 99 रकबा 0.4611 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवा